भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1883
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

1883. श्री दामोदर अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का न्यायालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान की दर में तेजी लाने के लिए कोई आदेश जारी किए हैं ;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीशों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों में प्रतिदिन त्वरित सुनवाई का अधिकार प्राप्त है ;
(ङ) यदि हां, तो कानून के उस उपबंध का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत उन्हें यह विशेषाधिकार दिया गया है ; और
(च) दैनिक आधार पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की प्रक्रिया में वादी/प्रतिवादी के कानूनी, संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गत पांच वर्षों के दौरान देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामले के न्यायालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर हैं।

(ख) और (ग) : हाल ही में, मास अप्रैल, 2024 में, "विचारण न्यायालयों, जिला अपील न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के लिए आदर्श मामला प्रवाह प्रबंध नियम और उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में बकाया मामलों की कमी के लिए योजना का सुझाव देने" पर उच्चतम न्यायालय समिति ने समयबद्ध रीति में पुराने लंबित मामलों का निपटान करने के लिए जिला न्यायपालिका में बकाया मामलों में कमी के लिए कार्य योजना तैयार की है और उसे साझा किया है।

मास नवम्बर, 2024 में, राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली, भारत के उच्चतम न्यायालय ने, विभिन्न मुद्दों, जिनमें उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामला प्रबंधन प्रणाली भी है, पर व्यापक आधार रेखा रिपोर्ट जारी की है।

इसके अतिरिक्त, मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित मुद्दों से निपटने हेतु मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलनों के संकल्पों के अनुपालन में, उच्च न्यायालयों में 'बकाया मामले समिति' का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों/आदेशों के माध्यम से, समय-समय पर, निदेश दिए जाते हैं। कुछ सुसंगत निर्णय/आदेश निम्नानुसार हैं:-

1. इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

2012 की दांडिक अपील सं. 254, विनिश्चय किया गया: तारीख 01.02.2012 को

उद्धरण : (2012) 2 एसीसी 688 (पैरा 54, 55, 56)= [2012] 1 एससीआर, 779

2. कृष्णकांत ताम्रकार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2018 की

दांडिक अपील सं. 470, विनिश्चय किया गया :- तारीख 28.03.2018 को

उद्धरणः (2018) 17 एससीसी 27 (पैरा 11)= (2018) 4 एससीआर, 1098

हाल ही में, तारीख 20.10.2023 को विनिश्चत किए गए यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी, 2023 एससीसी ऑनलाइन 1377 नामक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय निदेश जारी किए गए हैं।

(घ) और (ड.) : परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143 किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा अध्याय 17 के अधीन अपराधों के संक्षिप्त विवरण का उपबंध करती है। यह आगे और उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन मामले का विचारण, यथासाध्य, अविरोध न्याय के हित में उसके समापन तक दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा, जब तक कि न्यायालय, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक नहीं समझता है। इसके अतिरिक्त, धारा यह कथन करती है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथा संभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा और विचारण को परिवाद फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

(च) : (2014) 5 एससीसी 590 में रिपोर्ट किए गए इंडियन बैंक एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के विषय पर देश में सभी दांडिक न्यायालयों को विस्तृत निदेश दिए गए हैं । ये निदेश वादी/प्रतिवादी के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करते समय न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया को अधिकथित करते हैं। इसके अतिरिक्त, "इन रे : परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन मामलों के शीघ्र विचारण" के विषय में मामलों के शीघ्र विचारण के संबंध में अनेक निदेश जारी किए गए हैं। अन्य पहलुओं में, वादी/ प्रतिवादी के अधिकारों का संरक्षण, अन्य सुसंगत विधिक उपबंधों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त निदेशों में कवर किया गया है।

****

उपाबंध-1

"परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1883, जिसका उत्तर तारीख 06.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	आन्ध्र प्रदेश	22055	13898	16854	18250	19941	14878
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	5	10	9	33	71
3.	असम	5575	3026	4483	6025	4688	4419
4.	बिहार	8488	5077	8205	11087	9717	9325
5.	चंडीगढ़	11886	7316	8124	8330	10843	12110
6.	छत्तीसगढ़	20471	7767	19667	18756	19171	15826
7.	दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव	396	314	275	286	268	294
8.	दिल्ली	170442	67100	81598	102631	117770	117114
9.	गोवा	5095	2849	3567	4200	3658	3270
10.	गुजरात	159565	87387	144727	159330	157830	160651
11.	हरियाणा	89247	53436	60158	64183	68690	53562
12.	हिमाचल प्रदेश	15940	10577	11318	16448	16182	14445
13.	झारखंड	8897	5045	6100	9658	11954	13156
14.	कर्नाटक	36350	22024	41807	45109	69225	80407
15.	केरल	15454	9275	11522	32450	40200	36120
16.	लक्षद्वीप	1	2	-	2	5	4
17.	मध्य प्रदेश	55639	23548	38415	47082	45714	35183
18.	महाराष्ट्र	163020	80879	101550	123232	105625	93482
19.	ओडिसा	9104	5264	7246	9212	8083	7811
20.	पुदुचेरी	799	673	1435	1756	1797	854
21.	पंजाब	74412	50013	58468	66556	69584	70503
22.	राजस्थान	121393	82045	106163	144510	138958	102569
23.	सिक्किम	7	4	1	9	14	18
24.	तमिलनाडु	31913	20601	30765	43751	33956	28429
25.	तेलंगाना	21543	8453	19313	13759	11659	8431
26.	त्रिपुरा	79	72	92	136	109	219
27.	उत्तर प्रदेश	84591	53637	63883	82566	79929	93154
28.	उत्तर प्रदेश	12232	7932	9408	11276	12337	13745
29.	पश्चिम बंगाल	49102	25845	69136	49169	58364	40732
30.	मेघालय	-	-	-	1	-	-
31.	नागालैण्ड	-	-	5	11	-	3
	योग	**1193702**	**654064**	**924295**	**1089780**	**1116304**	**1030785**

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक आंड़ाग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल तारीख 03.12.2024 पर उपलब्ध सांख्यकी के अनुसार रिपोर्ट

****